NAME OF PUBLICATION
VIRAT VAIBHAV

PLACE OF PUBLICATION
NEW DELHI

DATE OF PUBLICATION
- 5 APR 2010

...तो बढ़ेगा बाघों को खतरा

सरकार पार्क के आसपास इलाकों को बाघस्थल घोषित करे

■ विराट न्यूज

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बसे गांवों के निवासियों का पलायन न किए जाने पर संरक्षणवादियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इससे भारतीय बाघों को खतरा बढ़ेगा।

उल्लेखनीय है कि ग्रामवासियों के पलायन के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2003 में ही आदेश जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक लखीमपुर खीरी जिले के सुरमा गांव से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वन्यजीव कार्यकर्ता कौशलेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपे ज्ञापन में सुरमा गांव को दुधवा से स्थानांतरित कर किसी अन्य स्थान पर बसाए जाने के लिए गुहार लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि सुरमा गांव की कुल जनसंख्या लगभग चार हजार है और यह गांव उद्यान के बीचोबीच करीब पांच सौ एकड़ भूमि में फैला हुआ है। संरक्षणवादियों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि उद्यान के बीच में गांव रहने से शिकारियों और अंतरराष्ट्रीय गुटों को अवैध काम करने में सहूलियत हो जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वन्यजीव विज्ञान केन्द्र के प्रमुख अफीफुल्ला खान ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन करने में सरकार की उदासीनता संरक्षणवादियों के उद्यान को संरक्षित रखने के सभी प्रयासों को खतरा पैदा कर रहा है। खान ने कहा कि अगर राज्य सरकार बाघों के संरक्षण के प्रति गंभीर है, तो उसे उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बाघ स्थल के रूप में घोषित करने की तत्काल कार्रवाई करनी होगी और उच्च न्यायालय के आदेश का क्रियांवयन करना होगा। अगर वह ऐसा करने में विफल होते हैं, तो बाघों की कहानी जल्दी ही एक अन्य किंवदंती बन जाएगी।

ग्रामवासियों के पलायन के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2003 में ही जारी किया था आदेश

कुल 36 गांव में 34 गांवों को उद्यान के बाहर बसा दिया गया है, लेकिन दो अभी तक है जस के तस

उन्होंने कहा कि उद्यान के भीतर अतिक्रमण वहां के पारिस्थितियों को नुकसान पहुंचा रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वॉर्डन बी के पटनायक ने प्रेट्र से कहा कि सुरमा गांव उद्यान के केन्द्र में स्थित है। उच्च न्यायालय के गांव को खाली कराने और साथ ही राज्य अधिकारियों को ग्रामवासियों को किसी अन्य स्थान पर बसाने का आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि यह इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रामवासियों को स्थानांतरित करने वाले स्थान पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे समस्या और बढ़ गई है।

वन विभाग द्वारा इस समस्या का समाधान करने में असमर्थता जताते हुए उन्होंने कहा कि अवैध रूप से वहां कब्जा किए लोगों को हटाने का अधिकार जिला प्रशासन के पास है। उल्लेखनीय है कि 1975 में जब उद्यान की स्थापना की पहली अधिसूचना जारी की गई, तब इस इलाके में कुल 36 गांव थे। बाद में 34 गांवों को उद्यान के बाहर बसा दिया गया, लेकिन दो अभी तक जस के तस हैं।■